

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-4

अधिसूचना

03 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या 621/XX-4-2025-E-93192—श्री राज्यपाल, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1946 की धारा-6 के अनुसरण में जनपद देहरादून के थाना रायपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-301/2025 अन्तर्गत धारा 11(1), 11(2), 12(2), 12(3) उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 बनाम खालिद, सुमन, हिना सबिया एवं अन्य के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 18-10-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 37 गृह/504-06-12-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)